(क) क्या सरकार सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (ए एफ एस पी ए) को देश के कतिपय भागों, जहां यह इस समय लागू है, से अशंत: अथवा पूर्णत: वापस लेने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क): देश के किसी भी भाग से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (ए एफ एस पी ए) को वापस लेने का काई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।**

**(ख) और (ग): (क) के मद्देनजर, ये प्रश्न ही नहीं उठते।**